"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016— माघ 2, शक 1937

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-4/15-2/2016/1.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 43-ख के उप-नियम (2) में,-

(क) खण्ड (ग) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह " :" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये; अर्थात् :-

"परन्तु यह कि शीर्ष सोसाइटियों के मामले में, राज्य सरकार इस नियम के उक्त प्रावधान में छूट प्रदान कर सकेगी."

No./F 15-4/15-2/2016/1.— In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In sub-rule (2) of the rule 43-B,-

(a) in clause (c), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(b) after clause (c), the following shall be inserted, namely :-

"Provided that, in case of the Apex Societies, the State Government may, grant exemption in the said provision of this rule."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.